(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम मोरथला प०म० मोरथला भू०अ०नि०वृत्त आबूरोड तहसील- आबूरोड

	क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
129/2025	1	117	किता 08	1.8968	बाबूलाल पुत्र नगा (4363/9484) सहित राजस्थान ग्रामीण बैंक शेष बाकुर	बाबूलाल पुत्र नगा (4363/9484) सहित राजस्थान ग्रामीण बैंक शेष बाकुर	सह बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक व मारवाड़ ग्रामीण बैंक का नाम परिवर्तन किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक होने से खाते वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी शुद्ध किया जाना उचित है।
130/2025	02	08	किता 01	0.1138	ओटाराम पुत्र केसा, जाति मेघवाल सहित मारवाड़ ग्रामीण बैंक	ओटाराम पुत्र केसा, जाति मेघवाल सहित राजस्थान ग्रामीण बैंक	
	मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत 2022-2023 (2021 से चली) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।	साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।	प०हल्का मोरथला भू०अ०नि० आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।	प०हल्का मोरथला भू०अ०नि० आबूरोड राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।	

पटवारी (भू. अ.) मोरथला
तहसील आबूरोड (सिरोही)
24/12/25

RT ABR

24/12/25
तहसीलदार आबूरोड
जिला-सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

दिनांक 24 दिसम्बर